संख्या-45/2021/1146/33-3-2020-100(13)/2015

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या- 83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण(जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से 490.02 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/207/2021-5/19/2021 दिनांक 29.06.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में प्रावधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 490.02 लाख (रूपये चार करोड़ नब्बे लाख दो हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत एस.सी. एस.पी. हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायत भवन निर्माण के लिए श्री राज्यपाल व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) आकडों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा तथा स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय , स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होनें निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(9) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

(12) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06- बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 व अन्य संगत शासनादेशों में प्रावधानित व्यवस्थान्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त।

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनांक - तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संबंधित कोषाधिकारी ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- गार्ड फाइल। आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 45/2021/1146/33-3-2021-100(12)/2015 दिनांक 02 अगस्त, 2021 का संलग्नक

जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में बहु उद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83 **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	अनुदान संख्या-83 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि		पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आवंटित धनराशि
			लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	भूकम्परोधी रहित प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख एवं भूकम्परोधी सहित प्रति पंचायत भवन रू0 18.03 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	8	1	17.46	17.46
2	कौशाम्बी	8	1	17.46	17.46
3	सीतापुर	19	0	17.46	0.00
4	हरदोई	19	1	17.46	17.46
5	उन्नाव	16	0	17.46	0.00
6	रायबरेली	18	0	17.46	0.00
7	झांसी	8	0	17.46	0.00
8	औरैया	7	1	17.46	17.46
9	जालौन	9	0	17.46	0.00
10	बाराबंकी	15	1	17.46	17.46
11	मिर्जापुर	12	0	17.46	0.00
12	खीरी	15	1	17.46	17.46
13	कानपुर नगर	10	0	17.46	0.00
14	चित्रकूट	5	0	17.46	0.00
15	महोबा	4	1	17.46	17.46
16	इटावा	8	1	17.46	17.46
17	अम्बेडकरनगर	9	1	17.46	17.46
18	कानपुर देहात	10	0	17.46	0.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19	आजमगढ़	22	1	17.46	17.46
20	फतेहपुर	13	1	17.46	17.46
21	हाथरस	7	1	17.46	17.46
22	सहारनपुर	11	1	18.03	18.03
23	चन्दौली	9	1	17.46	17.46
24	बिजनौर	11	1	18.03	18.03
25	अमेठी	13	1	17.46	17.46
26	प्रयागराज	23	0	17.46	0.00
27	अयोध्या	11	1	17.46	17.46
28	मऊ	9	1	17.46	17.46
29	भदोही	6	1	17.46	17.46
30	सोनभद्र	10	0	17.46	0.00
31	गोरखपुर	20	1	17.46	17.46
32	बुलन्दशहर	16	1	17.46	17.46
33	जौनपुर	21	1	17.46	17.46
34	अलीगढ़	12	1	17.46	17.46
35	बांदा	8	0	17.46	0.00
36	मथुरा	10	1	17.46	17.46
37	आगरा	15	1	17.46	17.46
38	सुलतानपुर	14	1	17.46	17.46
39	हमीरपुर	7	0	17.46	0.00
40	प्रतापगढ़	17	1	17.46	17.46
41	संतकबीरनगर	9	1	17.46	17.46
महायोग		**494**	**28**		**490.02**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।